



उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-2/2026/86/तीस-4-2026-8(19)/2009 टी0सी0
लखनऊ: दिनांक: 30 जनवरी, 2026

अधिसूचना

चूंकि अधिसूचना संख्या-154/79-वि-1-2025-1-क-10-2025, दिनांक 21 अगस्त, 2025 द्वारा उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2025 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2025) को जनसाधारण की सूचना के लिये सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया है;

अतएव, अब पूर्वोक्त अधिनियम की धारा (1) की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक को ऐसे दिनांक के रूप में नियत करते हैं जब पूर्वोक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

2- उपर्युक्त के अग्रसरण में, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित सन् 2025 में यथासंशोधित उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) की धारा 4 की उपधारा (1-क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या-2004/30-4-09-8(19)/09, दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 का अधिक्रमण करके, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व कृत या किये जाने हेतु विलोपित बातों के सिवाय, राज्यपाल नीचे अनुसूची-एक और अनुसूची-दो के स्तंभ-3 में दी गयी एकबारीय कर की दरें, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में दिये गये मोटर यानों के वर्ग के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करते हैं :-

अनुसूची-एक

सन् 2025 में यथासंशोधित उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 4 की उपधारा (1-क) के अधीन परिवहन यानों पर एक बारीय कर की दर

क्रम संख्या	यान का विवरण	एकबारीय कर की दर (रुपये में)
1	2	3
1	भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित दोपहिया मोटर साइकिल	यान के मूल्य का 12.5 प्रतिशत
2	तिपहिया मोटर कैब	यान के मूल्य का 7 प्रतिशत
3	(क) मूल्य रुपये 1000000/- तक के मोटर कैब (तिपहिया मोटर कैब को छोड़कर) और मैक्सी कैब	यान के मूल्य का 10.5 प्रतिशत

(ख) मूल्य रुपये 1000000/- से अधिक के मोटर कैब (तिपहिया मोटर कैब को छोड़कर) और मैक्सी कैब	यान के मूल्य का 12.5 प्रतिशत
--	------------------------------

परंतु यह कि पहले से रजिस्ट्रीकृत यानों पर एक बारीयकर, ऐसे यानों की पूर्व अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रचलित एक बारीय कर की धनराशि में आठ प्रतिशत की छूट देकर गणना की जायेगी, परंतु यह छूट पचहत्तर प्रतिशत की धनराशि से अधिक नहीं होगी। इस प्रयोजन हेतु एक वर्ष की अवधि की गणना यान के प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से की जायेगी और एक वर्ष से कम की अवधि को छोड़ दिया जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वोक्त अधिनियम, 1997 की धारा-4 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत यदि कोई गैर परिवहन यान, मोटरयान अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) के अधीन उपर्युक्त अनुसूची-एक के स्तम्भ 2 में दिये गये परिवहन यान में परिवर्तित हो जाता है तो ऐसे यान के लिए पूर्वोक्त अधिनियम 1997 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन एक बारीय कर का पूर्व में ही संदत्त हो जाने की दशा में, इस अधिसूचना के अधीन यान के मूल्य के 2.5 प्रतिशत की दर से कर अतिरिक्त रूप से संदेय होगा।

अनुसूची-दो

2025 में यथासंशोधित उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 4 की उपधारा (1-क) के अधीन अनुसूची-एक में दिये गये यानों से भिन्न यानों पर संदेय कर की दर

क्रम संख्या	यान का विवरण	कर की दर (रुपये में)
1	2	3
(1)	संनिर्माण उपस्कर यान या विशेष प्रयोजन यान	यान के मूल्य का 6 प्रतिशत
(2)	माल वाहन 3000 किलोग्राम से अनधिक सकल यान भार (जी.वी.डब्ल्यू.)	यान के मूल्य का 3 प्रतिशत
	3000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 7500 किलोग्राम से अनधिक सकल यान भार (जी.वी.डब्ल्यू.)	यान के मूल्य का 6 प्रतिशत

परंतु यह कि पहले से रजिस्ट्रीकृत यानों पर एक बारीयकर, पूर्व अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए ऐसे यानों पर प्रचलित एक बारीय कर की धनराशि में आठ प्रतिशत की छूट देकर गणना की जायेगी, परंतु यह छूट पचहत्तर प्रतिशत धनराशि से अधिक नहीं होगी। इस प्रयोजन हेतु एक वर्ष की अवधि की गणना यान के प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से की जायेगी और एक वर्ष से कम की अवधि को छोड़ दिया जाएगा।

परन्तु यह और कि उपर्युक्त अनुसूची-दो के स्तंभ- 2 में दिये गये कोई भी मालयान, जब भी भाड़े पर यात्रियों को ले जाती हुई पाई जाए, तो उक्त अनुसूची-दो के स्तंभ-3 में दिये गये कर के अतिरिक्त रूपये 2200 प्रति यात्री की दर से कर देने हेतु उत्तरदायी होगा।

3- उपर्युक्त के अग्रसरण में, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित सन् 2025 में यथासंशोधित उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-21 सन् 1997) की धारा-4 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या-1997/तीस-4-09-8(19)-09, दिनांक 28.10.2009 का अधिक्रमण करके, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व कृत या किये जाने हेतु विलोपित बातों के सिवाय, राज्यपाल नीचे अनुसूची-तीन के स्तम्भ-3 और 4 में दी गयी कर की दरें, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में दिये गये मोटर यानों के वर्ग के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करते हैं :-

अनुसूची-तीन

2025 में यथासंशोधित उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन 7500 किलोग्राम से अधिक सकल यान भार वाले माल यानों और अन्य परिवहन यानों पर कर की दरें

क्रम संख्या	यान का विवरण	कर की दर (रुपये में)	
		त्रैमासिक	वार्षिक
1	2	3	4
1	चालक सीट को छोड़कर प्रत्येक सीट के लिए राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन सार्वजनिक सेवा यान।	58	230
2	7500 किलोग्राम से अधिक सकल यान भार (जी.वी.डब्ल्यू.) वाले मालयान, यान या उसके भाग के सकल यान भार (जी.वी.डब्ल्यू.) के प्रत्येक मीट्रिक टन के लिए।	242	893
3	कृषि प्रयोजन से भिन्न वाणिज्यिक प्रयोजन में प्रयुक्त ट्रैक्टर, यान या उसके भाग के लिए लदान रहित भार के प्रत्येक मीट्रिक टन के लिए।	525	1890
4	मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन भारत के किसी अन्य राज्य में या किसी अन्य देश में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसे माल यान, जिसके साथ सड़क परिवहन के मामले में पारस्परिक व्यवस्थाएं की गई हों और जो अपने परमिटों के प्रतिहस्ताक्षर के अधीन उत्तर प्रदेश में चलाने के लिए प्राधिकृत हों, यान या उसके भाग के सकल यान भार के प्रत्येक मीट्रिक टन के लिए।	137	525

5	ड्राइविंग स्कूल के स्वामित्व वाले, और चालकों के शिक्षण देने में अनन्य रूप से प्रयुक्त मोटरयान, यान या उसके भाग के लदान रहित भार के प्रत्येक मीट्रिक टन के लिए।	525	1890
---	--	-----	------

परन्तु यह कि कृषि उपज और पेट्रोलियम माल का अनन्य रूप से परिवहन करने वाले माल यानों के संबंध में कर की दर उपर्युक्त अनुसूची-तीन के क्रम संख्या-2 के समक्ष स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट मोटर यानों के लिए स्तम्भ -3 और स्तम्भ-4 में दी गई दर की, दो तिहाई होगी।

परन्तु यह और कि उपर्युक्त अनुसूची-तीन के क्रम संख्या-1 के स्तम्भ-2 में दिये गये मोटर यान, जो वातानुकूलित हों, के लिए प्रति सीट कर की दर उनके समक्ष स्तम्भ-3 और स्तम्भ-4 में दी गयी दर से पचास प्रतिशत अधिक होगी।

परन्तु यह भी कि उपर्युक्त अनुसूची-तीन में दिया गया कोई मोटर यान, जिसे मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 66 की उपधारा (3) के अधीन परमिट से छूट प्रदान नहीं की गई है, यदि बिना परमिट चलता हुआ पाया जाता है, तो ऐसे यान हेतु अनुसूची-तीन के स्तम्भ -3 में दी गयी दर के पाँच गुना कर के बराबर राशि कर के रूप में संदेय होगी।

स्पष्टीकरण : अनुसूची-तीन के क्रम संख्या-1 के प्रयोजन के लिए स्वीकृत खड़े रहने की क्षमता यदि कोई हो, का पचास प्रतिशत अतिरिक्त बैठने की क्षमता के रूप में गिना जाएगा तथा जहां कोई मोटर यान स्लीपिंग बर्थ से सज्जित हो, वहाँ प्रत्येक स्लीपिंग बर्थ को दो यात्री सीट के बराबर समझा जाएगा।

आज्ञा से,

अर्चना अग्रवाल
अपर मुख्य सचिव

संख्या-2/2026/86(1)/तीस-4-2026-8(19)/2009 टी0सी0, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना आदेश को दिनांक 30 जनवरी, 2026 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 150 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव

संख्या-2/2026/86(2)/तीस-4-2026-8(19)/2009 टी0सी0, तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना के हिन्दी/अंग्रेजी की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की हिन्दी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में तथा अंग्रेजी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियाँ शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव

संख्या- 2/2026/86(3)/तीस-4-2026-8(19)/2009 टी0सी0, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
- 2- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
- 5- स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, कैसरबाग, लखनऊ।
- 6- अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व), उत्तर प्रदेश।
- 7- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
- 8- विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नितिन कुमार गुप्त
उप सचिव

**UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 2/2026/86/xxx-4-2026-8(19)/2009TC, dated 30 January, 2026:

Notification

No. 2/2026/86/xxx-4-2026-8(19)/2009TC

Lucknow; Dated: 30 January, 2026

WHEREAS the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2025 (U.P. Act no.10 of 2025) has been published in the Official Gazette for information of the general public vide Notification no. 154/79-V-I-1-2025-1-ka-10-2025, dated 21 August, 2025.

Now, therefore, in exercise of the powers under sub-section (2) of section 1 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to appoint the date of publication of this notification in the Official Gazette as the date on which the provisions of the aforesaid Act shall come into force.

2. In furtherance of the above, in exercise of the powers under sub-section (1-A) of section 4 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (U.P. Act No. 21 of 1997) as amended in 2025 read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) and in supersession of Notification No. 2004/30-4-09-8(19)/09, dated 28th October, 2009 as amended from time to time, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor is pleased to specify the rates of one-time tax as set out in Column-3 of Schedule-I and Schedule-II below in respect of the classes of motor vehicles as set out in the corresponding entry in Column-2 of the said Schedules:-

SCHEDULE-I

**Rate of one-time tax on transport vehicles under sub-section (1-A) of section 4 of the
Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 as amended in 2025**

Sl. No.	Description of vehicles	Rate of one-time tax (in rupees)
1	2	3
1.	Two-Wheeler Motorcycle used for hire or reward	12.5 percent of the cost of vehicle
2.	Three-wheeler motor cab	7 percent of the cost of vehicle
3.	(a) Motor cabs (excluding three-wheeler motor cabs) and maxi cabs having cost up to Rs 10,00,000 /-	10.5 percent of the cost of vehicle
	(b) Motor cabs (excluding three-wheeler motor cabs) and maxi cabs having cost more than Rs 10,00,000 /-	12.5 percent of the cost of vehicle

Provided that one-time tax on already registered vehicles shall be calculated by giving exemption of eight percent in amount of prevailing one-time tax for each year of earlier period of such vehicles, but this exemption shall not exceed seventy-five percent of the amount. For this purpose, the period of one year shall be computed from the date of initial registration of the vehicle and period less than one year shall be ignored:

Provided further that if any non-transport vehicle registered under sub-section (1) of section 4 of the aforesaid Act of 1997 is converted into a transport vehicle as set out in Column-2 of Schedule-I above under the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988), then in case one-time tax has already been paid for such vehicle under sub-section (1) of section 4 of the aforesaid Act of 1997, tax at the rate of 2.5 per cent of the cost of the vehicle shall be payable additionally under this notification.

SCHEDULE-II

Rate of tax payable on vehicles other than those as set out in Schedule-I under sub-section (1-A) of section 4 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 as amended in 2025

Sl. No.	Description of vehicles	Rate of Tax (in rupees)
1	2	3
1.	Construction Equipment Vehicle or Special Purpose Vehicle (SPV)	6 percent of the cost of vehicle
2.	Goods Carriage	Gross Vehicle Weight (GVW) of which does not exceed 3000 kilograms
		Gross Vehicle Weight (GVW) of which exceeds 3000 kilograms but does not exceed 7500 kilograms
		3 percent of the cost of vehicle
		6 percent of the cost of vehicle

Provided that the one-time tax on vehicles already registered shall be calculated by giving exemption of eight percent on the amount of one-time tax prevailing on such vehicles for each year of the previous period, but this exemption shall not exceed seventy-five percent. For this purpose, the period of one year shall be calculated from the date of initial registration of the vehicle and the period of less than one year shall be ignored:

Provided further that any goods vehicle as set out in Column-2 of Schedule-II above, whenever found carrying passengers on hire, shall be liable to tax at the rate of Rs. 2200 per passenger in addition to the tax as set out in Column-3 of the said Schedule-II.

3. Again in furtherance of the above, in exercise of the powers under sub-section (2) of section 4 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (U.P. Act No. 21 of 1997) as amended in 2025 read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) and in supersession of Notification No. 1997/30-4-09-8(19)-09, dated 28th October, 2009 as amended from time to time, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor is pleased to specify the rates of tax as set out in Columns-3 and 4 of Schedule-III below in respect of the class of motor vehicles as set out in the corresponding entry Column-2 of the said Schedule :-

SCHEDULE-III

Rates of tax on goods vehicles having gross vehicle weight exceeding 7500 kg and other transport vehicles under sub-section (2) of section 4 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 as amended in 2025

Sl. No.	Description of vehicle	Rates of tax (in rupees)	
		Quarterly	Yearly

1	2	3	4
1	Public service vehicle owned and controlled by the State Transport Undertaking, for every seat excluding driver seat.	58	230
2	Goods Vehicle with Gross Vehicles Weight (GVW) more than 7500 kilograms, for every metric ton of Gross Vehicles Weight (GVW) of the vehicle or part thereof	242	893
3	Tractor used for commercial purposes, other than agricultural purposes, for every metric ton of the unladen weight of the vehicle or part thereof	525	1890
4	Goods vehicles, registered under the Motor Vehicles Act, 1988 in any other State of India or under a law in force for the time being in any other country, with which reciprocal arrangements in the matter of road transport have been made and which are authorized to ply in Uttar Pradesh under counter signature of their permits, for every metric ton of the gross vehicle weight of the vehicle or part thereof.	137	525
5	Motor vehicles owned by Driving Schools and exclusively used to impart instruction to drivers, for every metric ton of the unladen weight of the vehicle or part thereof	525	1890

Provided that the rate of tax in respect of goods vehicles exclusively transporting agricultural product and petroleum goods shall be two-thirds of the rate set out, in Columns-3 and 4, for motor vehicles specified in Column-2 against serial number 2 of Schedule-III above:

Provided further that for motor vehicles which are air-conditioned as set out in Column-2 of serial number 1 of Schedule-III above, the rate of tax per seat shall be fifty percent higher than the rate as set out in Columns-3 and 4 against them:

Provided also that if any motor vehicle as set out in Schedule-III above, which has not been exempted from permit under sub-section (3) of section 66 of the Motor Vehicles Act, 1988, is found plying without a permit, an amount equal to five times of the rate as set out in Column-3 of Schedule-III above shall be payable as tax for such vehicle.

Explanation: For the purpose of serial number 1 of Schedule-III, fifty percent of the sanctioned standing capacity, if any, shall be reckoned as additional seating capacity and where a motor vehicle is equipped with sleeping births, each sleeping birth shall be regarded as the equivalent to two passenger seats.

By order,

Archana Agrawal
Additional Chief Secretary.